जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन–04)
राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/JOD/2023-24/102165 दिनांक: 22/04/2024

विषय: – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **HARI RAM** पुत्र श्री **BINJA RAM** जाति **MEGHWAL** निवासी **VILLAGE BORANADA TEH JHANWAR DSIT JODHPUR**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नारनाड़ी, झँवर (जोधपुर)	HARI RAM	37/2	17918	1.7918
2.	नारनाड़ी, झँवर (जोधपुर)	HARI RAM	1068/32	809	0.0809
				कुल	**1.8727**

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **22-04-2024** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–04)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Digitally Signed by Jaipal Singh Rathore
Designation : DC/ AO
Date: 2024.04.22 15:22:18 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नारनाड़ी	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2077 - 2080 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
पटवार हल्का :- नारनाडी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- बोरानाडा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- झंवर	खाता संख्या नया :- 1046
जिला :- जोधपुर	खाता संख्या पुराना :- 1043

काश्तकार का नाम:-

1. हरिराम पुत्र बींजाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. बोरानाडा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1068/32	0.0809	बारानी IV	0.0809	0.08		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3710 15/02/2024विभाजन	
कुल खसरे - 1	0.0809		0.0809	0.0800			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 15-Feb-2024

NIC

सत्य प्रतिलिपि
क्रमांक 262 पर दर्ज
15/02/2024
पटवारी (भू.अ.) नारनाडी

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नारनाड़ी
पटवार हल्का :- नारनाडी
भू.अभि.नि. :- बोरानाडा
तहसील :- झंवर
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2077 - 2080 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 782
खाता संख्या पुराना :- 756

काश्तकार का नाम:-

1. हरिराम पुत्र बींजाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा.बोरानाडा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
37/2	1.7919	बारानी IV	1.7919	1.67		स्वीकृत नामांतरकरण : 3551 05/07/2023बेचान	
कुल खसरे - 1	1.7919		1.7919	1.6700			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 15-Feb-2024

NIC

सत्य प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 262
15/02/2024
पटवारी (भू.अ.) नारनाडी

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नारनाड़ी
पटवार हल्का :- नारनाडी
भू.अभि.नि. :- बोरानाडा
तहसील :- झंवर
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2077-2080 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 871
खाता संख्या पुराना :- 1043

काश्तकार का नाम:-

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1000/17	0.2590	गै.मु.फार्म हाउस	0.2590	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3429 05/01/2023समर्पण	
103/2	0.6475	गेमु कृषि उधोग	0.6475	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3444 27/01/2023समर्पण	
103/3	0.6475	गेमु कृषि उधोग	0.6475	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3471 24/02/2023समर्पण	
1033/121	0.6475	आवासीय प्रयोजन	0.6475	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3472 21/02/2023समर्पण	
1034/121	1.9182	आवासीय प्रयोजन	1.9182	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3476 21/02/2023समर्पण	
1035/121	1.9182	आवासीय प्रयोजन	1.9182	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3546 14/06/2023न्याया. आदेश	
1036/118	1.5055	आवासीय	1.5055	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3572 21/07/2023समर्पण	
1037/118	1.5621	आवासीय	1.5621	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3583 10/08/2023समर्पण	
1038/118	1.6187	आवासीय	1.6187	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3592 12/10/2023न्याया. आदेश	
105/1	0.6475	बारानी IV	0.6475	0.60		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3677 15/02/2024न्याया. आदेश	
105/31	0.6475	बारानी IV	0.6475	0.60		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3772 27/03/2024समर्पण	
1068/32	0.0809	आवासीय प्रयोजन	0.0809	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3794 13/05/2024समर्पण	
110/4	2.8652	बारानी I	2.8652	7.79		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3899 20/09/2024न्याया. आदेश	
111	0.5261	बारानी I	0.5261	1.43		स्वीक्रत नामांतरकरण : 3952 12/11/2024समर्पण	
1111/986	0.8093	मोटल प्रयोजनार्थ	0.8093	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 4114 26/03/2025समर्पण	
1135/165	0.1833	पेट्रोल पम्प	0.1833	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 4115 26/03/2025समर्पण	
1168/18	1.7400	आवासीय प्रयोजन	1.7400	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 4133 17/04/2025समर्पण	
1170/988	0.2625	पेट्रोल पम्प	0.2625	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 4263 21/07/2025समर्पण	
122	4.7429	गेमु कृषि उधोग	4.7429	0.00			
159	1.7644	गे.मु.औरण	1.7644	0.00			
161	1.8858	गे.मु.औरण	1.8858	0.00			
163	0.3399	गै मु फार्म हाउस	0.3399	0.00			
163/1	1.7159	बारानी I	1.7159	4.67			
163/2	0.6799	फार्म हाऊस प्रयो.	0.6799	0.00			

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नारनाड़ी
पटवार हल्का :- नारनाडी
भू.अभि.नि. :- बोरानाडा
तहसील :- झंवर
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2077-2080 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 871
खाता संख्या पुराना :- 1043

169	0.1295	गे.मु.औरण	0.1295	0.00
17/2	0.3237	आवासीय	0.3237	0.00
17/3	0.1837	आवासीय	0.1837	0.00
182/10	0.8094	गेमु कृषि उधोग	0.8094	0.00
186/1	0.9712	बारानी I	0.9712	2.64
186/2	0.6475	गे.मु.औधोगिक	0.6475	0.00
192	0.6232	गे.मु.औधोगिक	0.6232	0.00
200/1	0.6815	गे.मु.औधोगिक	0.6815	0.00
200/2	0.1489	गे.मु.औधोगिक	0.1489	0.00
200/3	0.1489	गे.मु.औधोगिक	0.1489	0.00
203	3.5127	बारानी I	3.5127	9.55
210/1	2.6062	गे.मु.औधोगिक	2.6062	0.00
211/1	0.6475	गे.मु.औधोगिक	0.6475	0.00
211/2	0.3845	औद्योगिक प्रयोजन	0.3845	0.00
211/3	0.0340	गे.मु.औधोगिक	0.0340	0.00
211/5	0.7527	गे.मु.औधोगिक	0.7527	0.00
211/6	0.3845	औद्योगिक प्रयोजन	0.3845	0.00
213	0.6475	औद्योगिक प्रयोजन	0.6475	0.00
216/1	0.1999	गे.मु.औधोगिक	0.1999	0.00
216/14	0.0583	गे.मु.औधोगिक	0.0583	0.00
216/5	0.2185	गे.मु.औधोगिक	0.2185	0.00
223/1	3.0756	बारानी I	3.0756	8.37
235	0.2752	व्यवसायिक प्रयोजन	0.2752	0.00
266	1.8049	गे.मु.नाडी	1.8049	0.00
272	0.9065	गै.मु.नदी	0.9065	0.00
278	2.0801	गे.मु.औरण	2.0801	0.00
279/1	1.9425	गै.मु आवासीय.	1.9425	0.00
279/2	0.7527	गै.मु आवासीय.	0.7527	0.00
280	3.3427	बारानी III	3.3427	4.14
281	3.2618	गै.मु आवासीय.	3.2618	0.00
315	3.1646	गे.मु.नाडी	3.1646	0.00
352	1.0765	गे.मु.औरण	1.0765	0.00
37/2	1.7919	आवासीय प्रयोजन	1.7919	0.00
370	0.8741	गे.मु.नाडी	0.8741	0.00

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN S 630665

22 JUL 2025

:: डवलपर जोइन्ट वेन्चर एग्रीमेंट ::

यह प्रलेख आज दिनांक ....को निम्न पक्षकारों के मध्य लिखा गयाः—

श्री हरिराम पुत्र श्री बींजाराम जी उम्र—41 वर्ष **PAN : AYUPM 4417 D** जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में रहने वाले जिन्हें इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार यानि भू—स्वामी / भूमि धारक के नाम से सम्बोधित किया जायेगा (आधार : 5618 2365 0482)

—प्रथम पक्षकार

:: बहक ::

मैसर्स आयुषी बिल्डकॉन प्रा. लि. **PAN : AAICA 2184 Q** जरिये डायरेक्टर श्री एम डी शर्मा पुत्र स्व. श्री बंशीलाल जी उम्र—55 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी—221, श्याम नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर (आधार : 3824 1603 4055)

—द्वितीय पक्षकार

के मध्य निम्न प्रकार लिखा गयाः—

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

क्र. मुद्रांक विक्रेता ...लाल ... पंजी. पत्र संख्या /4/जोधपुर/2011

3081 8/08/25 ... क्रम संख्या 1000/-

क्रेता क्रम संख्या

... लीलारामजी

मुद्रांक क्रेता के ... हरिराम

... बोरनाड़ा जोधपुर

प्रयोजन एग्रीमेन्ट

... क्रय के ... के ...

गौतम शर्मा

... के हस्ताक्षर

क्रेता / हस्ते के हस्ताक्षर

विक्रय स्थान हुडको क्वार्टर ... 14 ... नगर जोधपुर

स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प ... अधिभार

आधारभूत ... सुविधाओं हेतु ... 1000/-
धारा ... 10% रुपये.............

गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन व महामारी हेतु ... 2000/-
धारा (... 20% रुपये............... 3000/-

कुल योग

उप पंजीयक (चतुर्थ) * जोधपुर (राज.) *
सत्यमेव जयते

IN-RJ21851387589711X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

सत्यमेव जयते

₹1,27,248

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-RJ21851387589711X
Certificate Issued Date	:	08-Aug-2025 02:40 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3326304/ JODHPUR/ RJ-JU
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ332630426069870902995X
Purchased by	:	MS AYUSHI BILDCON PVT LTD
Description of Document	:	Article 5(e) Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property
Property Description	:	KH NO 1068/32, 37/2 GRAMNARNADI JODHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	HARI RAM
Second Party	:	MS AYUSHI BILDCON PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	MS AYUSHI BILDCON PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	97,884 (Ninety Seven Thousand Eight Hundred And Eighty Four only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	9,788 (Nine Thousand Seven Hundred And Eighty Eight only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	9,788 (Nine Thousand Seven Hundred And Eighty Eight only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	:	9,788 (Nine Thousand Seven Hundred And Eighty Eight only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,27,248 (One Lakh Twenty Seven Thousand Two Hundred And Forty Eight only)

पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

IN-RJ21851387589711X

QE 0025923622

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

* कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) * जोधपुर (राज.)
सत्यमेव जयते

यह है कि प्रथम पक्षकार कृषि भूमि खसरा नम्बर–1068/32 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर–37/2 रकबा 1.7919 हैक्टेयर कुल खसरा दो कुल रकबा 1.8728 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम नारनाडी पटवार क्षेत्र बोरानाडा भू–अभिलेख निरिक्षक बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है एवं उक्त भूमि के प्रथम पक्षकार राजस्व रेकर्ड यानि चालु जमाबन्दी में बहैसियत खातेदार दर्ज सुदा है।

यह है कि आज दिन तक प्रथम पक्षकार ही उक्त कृषि भूमि पर मालिक व काबिज है, जिसमें प्रथम पक्षकार के अलावा अन्य किसी भी पक्ष का कोई हक, हित या हिस्सा नहीं है। द्वितीय पक्षकार जो कि रियल एस्टेट डवलपर है, के आग्रह पर दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हुए है किः–

01. यह है कि द्वितीय पक्षकार द्वारा स्वयं के खर्चे से उक्त भूमि पर आवासीय योजना मय आधारभुत सुविधा युक्त जिसमें सडक, पानी लाईन, बिजली लाईन, सीवरेज लाईन, इत्यादि लगाकर विकसीत की जायेगी। यह है कि आप द्वितीय पक्षकार उक्त आवासीय योजना को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि का निमयन (90–ए) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से करवाकर, आवासीय पट्टे स्वयं के नाम अथवा भूखण्ड बेचान किये गये व्यक्तियों के नाम से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त कर सकेंगे।

02. यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में उक्त भूमि के नियमन हेतु, पट्टा हासिल करने हेतु, नक्शा स्वीकृत करवाने हेतु आप द्वितीय पक्षकार अधिकृत है एवं इस प्रक्रिया का समस्त खर्चा द्वितीय पक्षकार वहन करेगा यानि नियमन शुल्क, विकास शुल्क, नियमन से सम्बन्धित जो भी खर्चा आयेगा वो द्वितीय पक्षकार अदा करेगा।

03. यह है कि इस प्रोजेक्ट का नाम द्वितीय पक्षकार द्वारा रखा जायेगा।

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

Presentation Endorsement Print Date: 8/8/2025 3:44:19 PM

आज दिनांक 08 माह 08 सन् 2025 को 03:41 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री HARIRAM पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BINJARAM JI
उम्र 41 वर्ष, जाति 0-MEGHWAL , व्यवसाय Business
निवासी House No.: 00, Colony: GRAM BORANADA, Area: TEH JHANWAR, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202501054017877

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property

Fees Receipt Endorsement Print Date: 8/8/2025 3:44:19 PM

रसीद नं.	202502054018050
दिनांक	08-08-2025
पंजीयन शुल्क ₹	79108
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	98884
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	29664
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	207956

202501054017877

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
eStamp IN-RJ21851387589711X ₹ 127248 # e-Gras Challan 109040318 ₹ 79408 # Stamp S630665 ₹ 1300

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) * सत्यमेव जयते * जोधपुर (राज.)

04. यह है कि द्वितीय पक्षकार उक्त योजना में निम्न अनुसार विकास कार्य अपने स्वयं के खर्चे पर करेगा :–

(1) उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्री वॉल का निर्माण।

(2) मुख्य सडक पर योजना का मैन गेट का निर्माण।

(3) योजना में डामर सडक का निर्माण।

(4) योजना में पानी की पाईप लाईन बिछाकर देंगे जो सडक के दोनों तरफ होगी।

(5) योजना में बिजली के पोल वायर सहित लगाकर देंगे।

(6) योजना में सिवरेज लाईन का निर्माण किया जायेगा।

(7) योजना में उद्यान चार दिवारी सहित विकसीत किया जायेगा।

उक्त सभी कार्य द्वितीय पक्षकार अपने स्वयं के खर्चे से कर के देंगे एवं इन कार्यो में लगने वाले माल मेटेरियल की गुणवत्ता द्वितीय पक्षकार द्वारा तय की जायेगी तथा किये गए सभी कार्यो को सम्बन्धित विभाग से अनुमोदित करवाने व पास करवाने की जिम्मेवारी द्वितीय पक्षकार की होगी एवं इसमें लगने वाला खर्च द्वितीय पक्षकार वहन करेंगे।

05. यह है कि द्वितीय पक्षकार स्वयं की धनराशि से इस प्रोजेक्ट पर निर्माण सम्बन्धी कार्य यानि उक्त भूमि में सीसी सडक, सिवरेज लाईन, पानी की पाईप लाईन, मुख्य द्वार, रोड लाईट इत्यादि विकास कार्य करेंगे जिसमें लगने वाले माल एवं कार्य की गुणवत्ता द्वितीय पक्षकार द्वारा तय की जायेगी एवं द्वितीय पक्षकार भूखण्डों को बेचान करेंगे जिसकी कीमत द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा ठेकेदार को नियुक्त करना, आर्किटेक्ट व इंजिनीयर को नियुक्त करना, लेबर प्रबंध करना, निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करना, सम्बन्धित विभाग से बिजली पानी का कनेक्शन प्राप्त करना व अन्य समस्त प्रकार के निर्माण कार्य करना द्वितीय पक्षकार

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

Endorsement of Execution

Print Date: 8/8/2025 3:44:19 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री HARIRAM, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BINJARAM JI, व्यवसाय Businessजाति 0-MEGHWAL House No.: 00, Colony: GRAM BORANADA, Area: TEH JHANWAR, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 41 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री AYUSHI BUILDCON PVT LTD TH DIRECTOR MD SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BANSHILAL JI , व्यवसाय Businessजाति 0-JANGID House No.: 221, Colony: SHYAM NAGAR, Area: PAL LINK ROAD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 55 Signature :

ने लेख्यपत्र Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GAUTAM SHARMA TH OMPRAKASH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BANSHILAL JI जाति JANGID Age: 49 Add: House No.: 221, Colony: SHYAM NAGAR, Area: PAL LINK ROAD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202501054017877

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

की जिम्मेवारी होगी और यह सभी कार्य द्वितीय पक्षकार स्वयं के खर्चे से करेगा।

06 यह है कि आप द्वितीय पक्षकार उक्त योजना में स्थित भूखण्डों के विक्रय हेतु प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कानूनी रूप से समस्त कार्य जैसे पेम्पलेट, ब्रॉशर, विज्ञापन, चल चित्र विज्ञापन, ध्वनि विज्ञापन, सूचना पुस्तिका, मैगजीन विज्ञापन, होर्डिंग, इंटर नेट पर प्रचार प्रसार द्वितीय पक्षकार के नाम से किया जा सकेगा ।

07 यह है कि आप द्वितीय पक्षकार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जोधपुर या अन्य सरकार, अर्द्ध सरकारी व गैर सरकारी संस्थान में उक्त प्रोजेक्ट के बाबत् सभी तरह की कार्यवाही कर सकेंगे।

08 यह है कि आप द्वितीय पक्षकार उक्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में होने वाली सभी प्रकार की विधिक कार्यवाही, प्रशासनिक व अन्य कार्यवाहियों में भाग ले सकेंगे तथा इन सभी कार्यवाही के लिये वाद, उत्तरवाद, शपथपत्र, राजीनामा, अपील, पुनरावेदन, पुनर्विलोकन, इजराय, प्रार्थना पत्र इत्यादि दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षरो से पेश करने का एवं न्यायपालिका व कार्यपालिका में तथा राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने का अधिकार आप द्वितीय पक्षकार का है। इन कार्यवाही में अधिवक्ता, अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकेंगे, उनकी फीस निश्चित कर भुगतान कर सकेंगे, उन्हे हटा सकेंगे, प्रत्येक न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी, ट्रिब्यूनल, राजकीय, अर्द्ध राजकीय, स्वायतशाषी संस्थान, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नगर निगम, तहसील कार्यालय आदि में उपस्थित होकर कार्यवाही में अधिकृत रूप से भाग लेंगे।

09. यह है कि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से यह स्वीकार करते है कि परियोजना के विक्रय से प्राप्त समस्त राशि या विकसित पट्टा

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ)
सत्यमेव जयते
* जोधपुर (राज.) *

सुदा भूखण्ड में से प्रथम पक्षकार यानि भू स्वामी 10 प्रतिशत हिस्से के लिये अधिकृत होंगें और उसी तरह विकासकर्ता अर्थात् द्वितीय पक्षकार 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर राशि के लिये अधिकृत होगा जिसे आगे चलकर इस अनुबन्ध में "विकासकर्ता का आवंटन" कहा जायेगा।

10. यह है कि भू स्वामी अपने 10 प्रतिशत हिस्से को परियोजना पूर्ण होने से पहले किसी भी शख्स को बेचान/हस्तान्तरण नहीं कर सकेंगे तथा अपने हिस्से की भूमि में किसी अन्य को हिस्सेदार भी नहीं बना सकेंगे।

11. यह है कि भूमि स्वामी इकरार की गई भूमि को अब आगे किसी भी तरह से किसी अन्य शख्स/संस्था को बेचान/हस्तान्तरण नहीं कर सकेंगे।

12. यदि किन्हीं कारणवश भू स्वामी/प्रथम पक्षकार में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी उक्त इकरार की शर्तो को पूर्ण करने को पाबन्द रहेंगे।

13. यह है कि द्वितीय पक्षकार उक्त परियोजना में स्थित भूखण्डो को अन्य दीगर शख्स अथवा संस्थान को बेचान कर सकेंगे।

14. यह है कि भू स्वामी आवंटन की राशि को भू स्वामी द्वारा परियोजना भूमि में भूखण्डो के क्रेतागण के पक्ष में परियोजना भूमि में आनुपातिक अधिकारों के हस्तान्तरण प्रतिफल माना जायेगा उसी तरह विकासकर्त्ता आवंटन की राशि को विकासकर्त्ता द्वारा परियोजना भूमि में भूखण्डो के क्रेतागण के पक्ष में परियोजना के विकास में आनुपातिक अधिकारों के हस्तान्तरण का प्रतिफल माना जायेगा ।

15. यह है कि योजना के भूखण्डों को एजेंट के माध्यम से बेचान तय होने पर या बेचाननामा होने पर कमीशन की राशि की अदायगी

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.) सत्यमेव जयते

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) *
सत्यमेव जयते
* जोधपुर (राज.)

दोनों पक्षकारों द्वारा अपने आनुपातिक हिस्से के अनुसार दी जायेगी।

16. यह है कि द्वितीय पक्षकार ने स्वयं को विधिक रूप से पाबन्द करते हुए प्रथम पक्षकार को यह सहमति दी है कि परियोजना पुरी होने के बाद समस्त भूखण्डो को विकासकर्त्ता यानि द्वितीय पक्षकार को ही दोनों पक्षकारों की सहमति से तय/निर्धारित दर से विक्रय करने है। इसलिये फिर भी कोई भूखण्ड बेचान से शेष रह जाता है तो प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार अपने प्रतिशत के अनुसार भूखण्डो को आपस में बांट लेंगे।

17 यह है कि इस प्रोजेक्ट में भूखण्डो के सम्बन्ध में द्वितीय पक्षकार द्वारा तय/निर्धारित दर से बुकिंग करना, बेचान इकरारनामा निष्पादित करना एवं वैध रसीद देने का अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्षकार को होगा।

18. यह है कि आप द्वितीय पक्षकार उक्त प्रोजेक्ट में भूखण्डो के क्रेताओं के बैंक ऋण हेतु इस इमारत के प्रोजेक्ट को बैंक में स्वीकृत करवा सकेंगे, इस हेतु बैंक में समस्त प्रकार की कार्यवाही जैसे–टाईटल के स्वामित्व सम्बन्धी सर्च रिपोर्ट प्राप्त करना, बैंक अधिकारीयों व इंजीनियर को मौका दिखाना, स्वीकृत नक्शे व अन्य स्वामित्व सम्बन्धी असल दस्तावेज बैंक या वित्तिय संस्थानों में दिखाना आदि समस्त कार्य करवा सकेंगे।

19. यह है कि द्वितीय पक्षकार ने इस सम्पत्ति के समस्त टाइटल दस्तावेज देख लिये है एवं पुर्ण रूप से संतुष्ट होकर यह दस्तावेज का निष्पादन किया है।

20. यह है कि उक्त भूमि का कब्जा इस दस्तावेज के निष्पादन के साथ आप द्वितीय पक्ष को सुपुर्द किया गया है।

21 यह है कि दोनों पक्षकार भविष्य में अगर इस डवलपर एग्रीमेन्ट/ जोईन्ट वेन्चर एग्रीमेण्ट में कोई संशोधन करना चाहे तो दोनों

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ)
सत्यमेव जयते
जोधपुर (राज.)

पक्षकार आपसी पूर्ण सहमति से इस दस्तावेज में संशोधन कर सकते है।

22. यह है कि उक्त दस्तावेज के जरिये आप द्वितीय पक्षकार पक्ष को यह अधिकारी प्रदान किये गये है कि आप द्वितीय पक्षकार स्वीकृत मानचित्र अनुसार भूखण्ड बेचान कर सकेगें, बेचाननामा पंजीबद्ध करावा सकेंगे तथा बेचान राशि जरिये चैक/रोकड कम्पनी के नाम से प्राप्त कर सकेंगे तथा बेचान किये गये भूखण्डों को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में नियमानुसार लिस्ट से पट्टे अपने व अन्य व्यक्तियों के नाम से जारी करवा सकेंगे एवं प्रथम पक्षकार ने अलग से एक आम मुख्त्यारनाम द्वितीय पक्षकार के कहे अनुसार तहरीर व तकमील किया हुआ है जिसको प्रथम पक्षकार कभी भी रिवोक या रद्द नहीं कर सकेगा।

23. यह है कि प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त भूमि को पूर्ण रूप से पाक एवं साफ बताया गया है परन्तु फिर भी भविष्य में उक्त भूमि से सम्बन्धित पूर्व का कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसे समाप्त करने की जिम्मेवारी प्रथम पक्षकारगण की होगी।

24. यह है कि द्वितीय पक्षकार यानि विकासकर्ता उक्त प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड करवा सकेंगे तथा उक्त प्रोजेक्ट के लिए अपनी फर्म के नाम से बैंक में अलग से खाता खुलवा कर लेन देन कर सकेंगे।

25. यह है कि प्रथम पक्षकार ने उक्त भूमि बाबत् एक अलग से आम मुख्त्यारनामा आप द्वितीय पक्षकार के हक में निष्पादित किया हुआ है।

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) * जोधपुर (राज.) *

सत्यमेव जयते

लिहाजा यह डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट दोनों पक्षकारान् ने सोच समझ कर अपनी राजी खुशी से बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से, अपने होशो हवाश में, बिना किसी नशे पत्ते के निम्न साक्षियों के समक्ष सोच समझ कर, पढ कर तहरीर व तकमील कर दिया है। जो सही है व सनद रहे। वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांकः–

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

(ह0 द्वितीय पक्षकार) (ह0 प्रथम पक्षकार)

साखः–

01. मैं अनिल गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी– 289 Ram Nagar C: H:B निष्पादनकर्त्ता को पहचानता हूं तथा उक्त निष्पादनकर्त्ता ने इस दस्तावेज पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

02. मैं Raju Ram पुत्र श्री Dalla Ram उम्र 50 वर्ष जाति Jaat निवासी– Siyaga ki dhani Banad निष्पादनकर्त्ता को पहचानता हूं तथा उक्त निष्पादनकर्त्ता ने इस दस्तावेज पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

Under 54 Endorsement Print Date:8/11/2025 11:45:34 AM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 7910707 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 98884 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 79108, सरचार्ज राशि 29664 कुल रू 207656 रसीद संख्या 202502054018050 दिनांक 08-08-2025 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 98884 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202501054017877 उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property

Registration Endorsement Print Date:8/11/2025 11:45:34 AM

आज दिनांक 08/08/2025 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 729 में
पृष्ठ संख्या 68 क्रम संख्या 202503054113538 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2914 के
पृष्ठ संख्या 205 से 220 पर चस्पा किया गया।

202501054017877 उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Developer Agreement- When given to promoter or developer for sale or transfer of any immovable property

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) * जोधपुर (राज.) *
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN BY 395844

कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर (राजस्थान) 09 JUL 2025

(फोटो प्रथम पक्षकार) (फोटो द्वितीय पक्षकार)

:: आम मुख्त्यारनामा ::

प्रथम पक्षकार :

आम मुख्त्यारनामा एक लिख दिया है मैं हरिराम पुत्र श्री बींजाराम जी उम्र–41 वर्ष **PAN : AYUPM 4417 D** जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में रहने वाले, जिन्हें इस दस्तावेज मे 'प्रथम पक्षकार' के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, (आधार : 5618 2365 0482)

:: ब ह क ::

द्वितीय पक्षकार :

मैसर्स आयुषी बिल्डकॉन प्रा. लि. **PAN : AACA 2184 Q** जरिये डायरेक्टर श्री एम डी शर्मा पुत्र स्व. श्री बंशीलालजी उम्र–55 वर्ष जाति जांगिड निवासी–221, श्याम नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर में रहने वाले, जिन्हे इस दस्तावेज मे 'द्वितीय पक्षकार' के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, के हक मे इस अमरका तहरीर व तकमील कर देता हूँ : (आधार : 3824 1603 4055)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED DIRECTOR

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

...2

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

क्रम संख्या 3082 दि. 8/08/25 [illegible] राशि 100/-

स्टाम्प क्रेता का नाम हरिराम [illegible] बीजाराम जी

पता बेरानाड़ा जोधपुर

प्रयोजन आ. मुख्त्यारनामा

दूसरे पक्ष का नाम [illegible]

क्रेता / दूसरे के हस्ताक्षर [illegible] गौतम शर्मा

[illegible] विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रय स्थान [illegible]

14 [illegible]

स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु 10/-
धारा (3-क) 10% रुपये...............

गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और 20/-
संवर्धन व महामारी हेतु
धारा (3-ख) 20% रुपये............ 30/-

कुल योग

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ)
सत्यमेव जयते
जोधपुर (राज.)

<u>संक्षिप्त विवरण</u> :

यह है कि प्रथम पक्षकार स्वयं की आय से खरीद सुदा, रजिस्टर्ड सुदा व कब्जा काश्त सुदा खातेदारी की कृषि भूमि जिसके खेत खसरा खसरा नम्बर–1068/32 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर–37/2 रकबा 1.7919 हैक्टेयर कुल खसरा दो कुल रकबा 1.8728 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम नारनाडी पटवार क्षेत्र बोरानाडा भू–अभिलेख निरिक्षक बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है, वस्तुतः उक्त भूमि के प्रथम पक्षकार राजस्व रेकर्ड यानि चालु जमाबन्दी में बहैसियत खातेदार दर्ज सुदा है, जिस कृषि भूमि पर प्रथम पक्षकार ही बहैसियत काबिज मालिक है एवंम् उक्त कृषि भूमि की विगत निम्न प्रकार हैः–

<u>जायदाद स्थिति</u> :

कृषि भूमि जिसके खेत खसरा नम्बर–1068/32 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर–37/2 रकबा 1.7919 हैक्टेयर कुल खसरा दो कुल रकबा 1.8728 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम नारनाडी पटवार क्षेत्र बोरानाडा भू–अभिलेख निरिक्षक बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है।

<u>रकबा</u> : 1.8728 हैक्टेयर कृषि भूमि।

यह है कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण वाली कृषि भूमि का प्रथम पक्षकार एकमात्र काबिज, मालिक, स्वामी है एवंम् उक्त कृषि भूमि को हर प्रकार से मुंतकिल करने का कानूनी अधिकार हासिल है एवंम् प्रथम पक्षकार अपने दीगर कार्यो मे व्यस्त रहने से उक्त कृषि भूमि की देखभाल करने व बेचान अन्य कूल कार्यवाही करने मे असमर्थ है, आप द्वितीय पक्ष जो मेरे विश्वसनीय है, को उक्त विवरण वाली कृषि भूमि के मुतलिक अपना आम मुख्त्यार नियुक्त करते हुए निम्न अधिकार प्रदान करती हूँ :–

(1) यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकुर उक्त कृषि भूमि में बिजली पानी व अन्य सुविधाएं मुतलिक महकमों से मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर कर हासिल करने के अधिकारी होगें ।

लगातार.....3.

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

Presentation Endorsement

Print Date: 8/8/2025 3:50:51 PM

आज दिनांक 08 माह 08 सन् 2025 को 03:54 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री HARIRAM पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BINJARAM JI
उम्र 41 वर्ष, जाति 0-MEGHWAL , व्यवसाय Business
निवासी House No.: 00, Colony: GRAM BORANADA, Area: TEH JHANWAR, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202501054017888

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-IV

(eee) Power of Attorney given to promoter or developer when stamp duty has been paid under Art. 5 (e) on the Developer Agreement executed between same parties in respect of same property

---

Fees Receipt Endorsement

Print Date: 8/8/2025 3:50:51 PM

रसीद नं.	202502054018063
दिनांक	08-08-2025
पंजीयन शुल्क ₹	2000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	100
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	30
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	2430

202501054017888

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

(eee) Power of Attorney given to promoter or developer when stamp duty has been paid under Art. 5(e) on the Developer Agreement executed between same parties in respect of same property

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 109036506 ₹ 2300 #
Stamp BY395844 ₹ 130

---

(2) यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकुर उक्त कृषि भूमि के मुतलिक हक हकूकों को कृषि भूमि अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से रूपान्तरित करवाकर पट्टा सुदा भूखण्डों के रूप मे अथवा कृषि भूखण्ड के रूप मे बेचान करने का, इकरार करने का, एडंवास लेने का व रसीद देने का बेचाननामा तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाने का अथवा वो कहे उस व्यक्ति के हक में एक हिस्से में अथवा एक से अधिक हिस्सों में बेचाननामा/नामें तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाने का, वास्ते उप–पंजीयक अथवा अधिकारी के साथ प्रस्तुत करने का, निष्पादन स्वीकार करने का तथा प्रतिफल प्राप्त हो जाना स्वीकार करने का, उसके लिये हर प्रकार का प्रार्थना पत्र घोषणा पत्र आदि देने का, हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करने का, तस्दीक करने का, अगर प्रथम पक्षकार ने भी किसी से बेचान इकरार कर लिया है तो उसका बेचाननामा को आप अपने हस्ताक्षर कर पंजीबद्ध करवाने का यानि बेचान के मुतलिक कुल व कार आमद तौर पर कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा ।

(3) यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक किसी भी महकमा, विभाग, कार्यालय, ऑफिस तथा न्यायालय आदि से हर प्रकार की स्वीकृति, सहमति, अनुज्ञा, प्रमाण पत्र आदि हासिल करने का अधिकार रहेगा चाहे वो राजकीय कानून के तहत आवश्यक अथवा केन्द्रीय कानून के तहत ।

(4) यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक हर प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का, दावा, अपील, निगरानी, नजरसानी, रिट, रिव्यु व उजरदारी, जबावदावा, अपील दर अपील, जबाबुल जबाव, नोटिस देने का, नोटिस प्राप्त करने का, शहादत सबुत प्रस्तुत करने का, दस्तावेज प्रस्तुत करने का व दस्तावेज वापिस प्राप्त करने का, किसी भी मामले से दस्तरबार

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.) सत्यमेव जयते

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

लगातार.....4.

Endorsement of Execution

Print Date: 8/8/2025 3:50:51 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री HARIRAM, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BINJARAM JI, व्यवसाय Businessजाति 0-MEGHWAL House No.: 00, Colony: GRAM BORANADA, Area: TEH JHANWAR, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 41 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री AYUSHI BUILDCON PVT LTD TH DIRECTOR MD SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BANSHILAL JI , व्यवसाय Businessजाति 0-JANGID House No.: 221, Colony: SHYAM NAGAR, Area: PAL LINK ROAD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 55 Signature :

ने लेख्यपत्र (eee) Power of Attorney given to promoter or developer when stamp duty has been paid under Art. 5 (e) on the Developer Agreement executed between same parties in respect of same property को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GAUTAM SHARMA TH OMPRAKASH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BANSHILAL JI जाति JANGID Age: 49 Add: House No.: 221, Colony: SHYAM NAGAR, Area: PAL LINK ROAD, City: JODHPUR, Pin code: 342008, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202501054017888

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

(eee) Power of Attorney given to promoter or developer when stamp duty has been paid under Art. 5(e) on the Developer Agreement executed between same parties in respect of same property

होने का, राजीनामा करने का व उसके लिये हर प्रकार का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, बोण्ड, डिकलेरेशन, घोषणा पत्र व अण्डरटेंकिग स्टेंटमेंट नक्शा आदि प्रस्तुत करने का यानि कानूनी कार्यवाही को उच्च से उच्चतम अधिकार क्षैत्र तक करने का अधिकार रहेगा ।

(5) यह है कि मेरे आम मुख्त्यार मजकुर जहां कहीं पर भी कार्यवाही करेगें हस्ताक्षर करेगें व हाजिर होगें उनके द्वारा की हुई कार्यवाही मेरे द्वारा की हुई समझी जायेगी जिनसे मै सदैव पांबद रहूंगा और कभी भी चैलेज नहीं कर सकूंगा और यही समझा जायेगा कि यह तमाम कार्यवाही मैंने ही बजात खुद ने ही की हो ।

(6) यह है कि यदि इस आम मुख्त्यारनामा में किसी अधिकार या कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है और उक्त कृषि भूमि के मुतलिक मैं स्वंय कर सकता हूँ वह तमाम कार्यवाही करने का अधिकार आप द्वितीय पक्ष को होगा ।

(7) यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार ने उपरोक्त जायदाद का कब्जा आप द्वितीय पक्ष को सुपुर्द नहीं किया हैं तथा भविष्य में इस दस्तावेज को रिवोक करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को हासिल हैं ।

लगातार.....5.

कार्यालय उप पंजीयक (बुचेटी) जोधपुर (राज.)

सत्यमेव जयते

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ)
सत्यमेव जयते
जोधपुर (राज.)

लिहाजा यह आम मुख्त्यारनामा प्रथम पक्षकार ने अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, सोच समझ कर, बिना किसी नशे पते के, तन्दुरूस्ती की हालत में, रूबरू मोतबिरान के आप द्वितीय पक्ष के हक में लिख दिया हैं जो सही है सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें । फकत :

For AYUSHI BUILDCON PRIVATE LIMITED

DIRECTOR

(ह0 निष्पादनकर्ता)

साख :–

(1) साख एक लिख देता हूँ मै अनिल मुथा पुत्र श्री जगदीश जी मुथा उम्र–40 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी 289 Ram Nagar C.H.B जोधपुर मे रहने वालो ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है ।

(2) साख एक लिख देता हूँ मै राजूराम [illegible] पुत्र श्री [illegible] उम्र–50 वर्ष जाति जाट निवासी [illegible] जोधपुर मे रहने वालो ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है ।

राजूराम

Under 54 Endorsement Print Date: 8/13/2025 2:12:31 PM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 0 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 100 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 2000, सरचार्ज राशि 30 कुल रू 2130 रसीद संख्या 202502054018063 दिनांक 08-08-2025 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 100 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202501054017888 उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)

(eee) Power of Attorney given to promoter or developer when stamp duty has been paid under Art. 5(e) on the Developer Agreement executed between same parties in respect of same property

---

Registration Endorsement Print Date: 8/13/2025 2:12:31 PM

आज दिनांक 08/08/2025 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 18 में
पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 202503054400285 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के
पृष्ठ संख्या 567 से 578 पर चस्पा किया गया।

202501054017888 उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)

(eee) Power of Attorney given to promoter or developer when stamp duty has been paid under Art. 5 (e) on the Developer Agreement executed between same parties in respect of same property

---

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) * जोधपुर (राज.) * सत्यमेव जयते